

पत्रांक1987/आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार

पटना-15, दिनांक-11/7/17

विषय: नाव दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विगत कुछ दिनों से नेपाल के तराई इलाकों के साथ ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के अधिकांश नदियों के जलस्तर में तीव्र गति से वृद्धि होने की सूचना प्राप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में नावों के परिचालन में अत्यधिक सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि परिचालन के दौरान नावों में तय क्षमता से अधिक सवारियों को नहीं ले जाया जाय। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि केवल निबंधित नावों का ही परिचालन हो तथा परिचालन के दौरान आदर्श नौका संचालन नियमावली, 2011 के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा संबंधी सभी उपकरण एवं व्यवस्थाएँ मौजूद हो। आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में अंधेरा होने के पश्चात् नावों का परिचालन न हो।

अतः अनुरोध है कि नावों के परिचालन हेतु निर्धारित मानकों/नियमों का अनुपालन सख्ती से लागू कराने हेतु अपने अधीनस्थों को दिशा-निर्देश निर्गत करें एवं इसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन

प्रधान सचिव

ज्ञापांक1987/आ0प्र0

पटना-15, दिनांक- 11/7/17-

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक1987/आ0प्र0

पटना-15, दिनांक- 11/7/17

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव